आ०वे०
upload

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– NHM/BHDS/60/2025- डी०वि०एम० 42- / पटना दिनांक 26/05/ 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित — **महालेखाकार, बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" (MIDH) अन्तर्गत मशरूम उत्पादन हेतु वातानुकूलित आधारभूत संरचना की योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यान्वयन हेतु कुल 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति ।**

आदेश : **स्वीकृत।**

केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" (MIDH) अन्तर्गत मशरूम उत्पादन हेतु वातानुकूलित आधारभूत संरचना की योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यान्वयन हेतु कुल 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मशरूम उत्पादन में वृद्धि करते हुये कृषकों के आय में वृद्धि करना एवं मशरूम उत्पादन कार्यक्रम के द्वारा लोगों को स्वरोजगार में वृद्धि करना है।

3. योजना का भौतिक एवं वित्तीय आकार अनुसूची–1 अनुरूप है।

4. योजनान्तर्गत अनुसूची–1 अनुरूप स्वीकृत घटकवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

4.1 **मशरूम उत्पादन इकाई (निजी क्षेत्र)** :– इस घटक अन्तर्गत निजी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन इकाई के निर्माण हेतु सहायतानुदान दिया जायेगा। मशरूम उत्पादन इकाई का इकाई लागत 30.00 लाख रूपये है। जिसमें 40 प्रतिशत अर्थात् 12.00 लाख रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दिया जायेगा। अनुदान की राशि ऋण संबद्ध बैंक एण्डेड अनुदान के रूप कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.2 **मशरूम कम्पोस्ट इकाई (निजी क्षेत्र)** :– इस घटक अन्तर्गत निजी क्षेत्र में मशरूम कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु सहायतानुदान दिया जायेगा। मशरूम कम्पोस्ट इकाई का इकाई लागत 30.00 लाख रूपये है। जिसमें 40 प्रतिशत अर्थात् 12.00 लाख रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दिया जायेगा। अनुदान की राशि ऋण संबद्ध बैंक एण्डेड अनुदान के रूप कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.3 **मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई (निजी क्षेत्र)** :– इस घटक अन्तर्गत निजी क्षेत्र में मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई के निर्माण हेतु सहायतानुदान दिया जायेगा। मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई का इकाई लागत 20.00 लाख रूपये है। जिसमें 40 प्रतिशत अर्थात् 8.00 लाख रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दिया जायेगा। अनुदान की राशि ऋण संबद्ध बैंक एण्डेड अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त तीनों घटकों का कार्यान्वयन उद्यान निदेशालय (मुख्यालय) द्वारा किया जायेगा।

4.4 **कम लागत/छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन इकाई** :– MIDH के गाईड लाईन के अनुसार 2.00 लाख की लागत में 200 वर्गफीट में इस यूनिट का निर्माण किया जायेगा। जिसमें 50 प्रतिशत अर्थात्–1.00 लाख रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दिया जायेगा। ऐसे सभी निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं इसकी जाँच जिला के सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–3 में दिये गये लक्ष्य के अनुरूप किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत एक मुश्त सहायतानुदान की राशि भुगतान की जाएगी।

5. योजना का लाभ DBT Portal पर पंजीकृत इच्छुक किसानों को ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से **'पहले आओ पहले पाओ'** के आधार पर दिया जायेगा। मशरूम उत्पादन इकाई निजी क्षेत्र, मशरूम कम्पोस्ट इकाई निजी क्षेत्र एवं मशरूम स्पॉन इकाई निजी क्षेत्र में ऑनलाईन प्राप्त ओवदन की समीक्षा उपरान्त SLEC के बैठक मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। SLEC की अनुमोदनोपरान्त सैद्धांतिक स्वीकृति/कार्यादेश मुख्यालय स्तर पर निर्गत किया जाएगा।

6. योजना का लाभ लेने हेतु मशरूम उत्पादन इकाई निजी क्षेत्र, मशरूम कम्पोस्ट इकाई निजी क्षेत्र एवं मशरूम स्पॉन इकाई निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन के साथ मशरूम का दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र, ले–आउट प्लान, परियोजना प्रस्ताव (DPR) एवं बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति पत्र/ऋण प्राप्ति प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत योजना के कार्यादेश निर्गत उपरान्त संयुक्त जाँच दल के अनुशंसा के आलोक में दो किस्तों में सहायतानुदान की राशि मुख्यालय स्तर से भुगतान की जाएगी।

7. मशरूम उत्पादन इकाई, मशरूम कम्पोस्ट इकाई एवं मशरूम स्पॉन इकाई में एक लाभुक किसान के द्वारा तीनों अवयवों में आवेदन किया जा सकेगा तथा तीनों अवयवों का लाभ दिया जायेगा एवं कम लागत/छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन इकाई में एक लाभुक को अधिकतम 5 इकाई दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत आवेदक किसान को संबंधित अवयव में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8. जिलावार आवंटित लक्ष्य की उपलब्धि ससमय नहीं होने पर इसे माँग अनुरूप राज्य के अन्य जिलों में परिवर्तित निदेशक उद्यान, बिहार के द्वारा किया जा सकेगा।

9. लाभुक किसानों को मशरूम उत्पादन इकाई, मशरूम कम्पोस्ट इकाई एवं मशरूम स्पॉन इकाई सहायता अनुदान की राशि संयुक्त जाँच दल के अनुशंसा के आलोक में दो किस्तों में भुगतान किया जाएगा। पहला किस्त का भुगतान संरचना के पूर्ण निर्माण के बाद एवं मशीनों के पूर्ण रूप से स्थापित करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा जबकि दूसरे किस्त का भुगतान इकाई के संचालन एवं उत्पादन के उपरान्त किया जायेगा।

10. संयुक्त जाँच दल में योजना के TSG/नोडल पदाधिकारी/नामित मुख्यालय के पदाधिकारी, संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान, संबंधित जिला के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक/उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मी होंगे।

11. कम लागत/छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन इकाई योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा निर्मित इकाई के जाँच एवं अनुशंसा के उपरान्त सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा एक मुश्त में सहायतानुदान की राशि भुगतान की जाएगी। सहायक निदेशक उद्यान ही इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे।

12. योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायेगा।

13. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन की कार्य योजना पर State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 28.04.2025 को तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025–KY दिनांक 17.03.2025 के द्वारा अनुमोदित है।

14. भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025–KY दिनांक 01.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु MIDH योजना अंतर्गत कुल 5200.00 लाख रूपये का उद्व्यय संसूचित किया गया है तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–113(BR 114) दिनांक 19.05.2025 द्वारा MIDH योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल 2600.00 लाख रूपये (सामान्य श्रेणी के लिए 2153.06 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 413.66 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कुल 33.28 लाख रूपये) की राशि विमुक्त की गई है।

15. इस योजनान्तर्गत लगभग 250 मानव दिवस सृजित किये जाने की संभावना है।

16. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य घटकों के लिए निर्धारित इकाई लागत राशि राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत निर्धारित लागत राशि अनुरूप है।

17. भारत सरकार द्वारा तत्काल केन्द्रांश मद में विमुक्त राशि के समानुपातिक राज्यांश सहित निकासी एवं व्यय किया जाएगा। शेष राशि की निकासी विमुक्ति के पश्चात् की जाएगी।

18. योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन सामान्य वर्ग के लिए 83.90 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 15.00 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.10 प्रतिशत अनुपात में किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

19. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक उद्यान होंगे। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि, समानुपातिक राज्यांश की राशि मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के SNA SPARSH में संधारित की जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा केन्द्रांश, समानुपातिक राज्यांश की राशि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप SNA SPARSH के माध्यम से व्यय किया जायेगा। Low Cost/Small Scale Mushroom Production Unit का लक्ष्य अनुसूची–3 के अनुसार जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी राशि SNA SPARSH के माध्यम से जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

20. DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि DBT -In cash transfer या DBT- In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

21. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जा रहा है।

22. स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि के 18 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

23. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

24. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

25. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1. केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी. एफ. एम. एस. कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	4363.14000	201.36720
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी. एफ. एम. एस. कोड–4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	780.00000	36.00000
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना),, विपत्र कोड 01–2401007960257, पी. एफ. एम. एस. कोड–4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	57.06000	2.63280
योग	**5200.200000**	**240.00000**
2. राज्यांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0324–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190324, पी. एफ. एम. एस. कोड–4138, विषय शीर्ष 0324–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	742.01000	134.24480
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0335–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890335, पी. एफ. एम. एस. कोड–4138, विषय शीर्ष 0335–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	520.00000	24.00000
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0357–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960357, पी. एफ. एम. एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0357–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	38.04000	1.75520
योग	**1300.05000**	**160.00000**
	6500.25000	**400.00000**

नोट :– राज्यांश (सामान्य जाति) अन्तर्गत प्रस्तावित राशि निर्धारित उपबंध से अधिक है। तत्काल उपलब्ध राशि की निकासी की जाएगी एवं शेष राशि की निकासी अगले अनुपूरक/पुनरीक्षित उपबंध से किया जायेगा।

26. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक 03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक 21.05.2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या–NHM/BHDS/60/2025 के पृ0 सं0–27/टि० पर दिनांक–23.05.2025 को प्राप्त है।

27. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

28. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/60/2025 के पृष्ठ संख्या–28/टि० पर दिनांक–23.05.2025 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या–354 दिनांक–23.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/5

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/60/2025- पी०पी०एम०-42- /पटना दिनांक 26/05/ 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/60/2025- पी०पी०एम०-42- /पटना दिनांक 26/05/ 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/60/2025- पी०पी०एम०-42- /पटना दिनांक 26/05/ 2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/60/2025- पी०पी०एम०-42- /पटना दिनांक 26/05/ 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/60/2025- पी०पी०एम०-42- /पटना दिनांक 26/05/ 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी,/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/60/2025- पी०पी०एम०-42- /पटना दिनांक 26/05/ 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 25-26\Puja Mam\yojana\saction order\MIDH Mushroom 400 Lakh.docx

Annexure-1

Annual Action Plan of Mushroom Production Infrastructure Scheme (2025-26) Under National Horticulture Mission (MIDH)

Sl. No.	Component	Total Cost as per MIDH Guideline (in Lakh)	Subsidy as per MIDH Guideline	Subsidy Cost per Unit (in lakh)	Physical Target (in nos.)	Financial Target (in Lakh)		
						Central Share	State Share	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Mushroom 2025-26**							
i)	Mushroom Production Unit	30.00/Unit	40%	12.00/Unit	12	86.400	57.600	144.000
ii)	Mushroom Compost Unit	30.00/Unit	40%	12.00/Unit	8	57.600	38.400	96.000
iii)	Mushroom Spawn Unit	20.00/Unit	40%	8.00/Unit	5	24.000	16.000	40.000
iv)	Low Cost/Small Scale Mushroom Production Unit	2.00/Unit	50%	1.00/Unit	120	72.000	48.000	120.000
Total					**145**	**240.000**	**160.000**	**400.000**

(तृप्ति गुप्ता)

नितेश कुमार राय

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (एम०आई०डी०एच०) अन्तर्गत मशरूम उत्पादन हेतु वातानुकूलित आधारभूत संरचना की योजना का वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (लाख रू० में)।

क्र० सं०	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	केन्द्रांश				राज्यांश				
		सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	कुल योग
1	निदेशक उद्यान, बिहार	140.95200	25.20000	1.84800	168.00000	93.96800	16.80000	1.23200	112.00000	280.00000
	Total	**140.95200**	**25.20000**	**1.84800**	**168.00000**	**93.96800**	**16.80000**	**1.23200**	**112.00000**	**280.00000**

(तृप्ति गुप्ता)

नितेश कुमार राय

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–3

Physical & Financial Target of Low Cost/Small Scale Mushroom Production Unit (2025-26) Under National Horticulture Mission (MIDH)

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रू० में)

Sl. No.	District Name	Physical Target				Financial Target
		Gen	SC	ST	Total	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Aurangabad	3	1		4	4.00
2	Begusarai	4			4	4.00
3	Bhagalpur	3	2		5	5.00
4	Bhojpur	4			4	4.00
5	Buxar	4			4	4.00
6	Darbhanga	2			2	2.00
7	East Champaran	3	2		5	5.00
8	Gaya	3	1		4	4.00
9	Jamui	2	1	1	4	4.00
10	Jehanabad	4			4	4.00
11	Kaimur	2			2	2.00
12	Katihar	3			3	3.00
13	Khagaria	2			2	2.00
14	Kishanganj	3			3	3.00
15	Lakhisarai	3			3	3.00
16	Muzaffarpur	5			5	5.00
17	Nalanda	4	2		6	6.00
18	Nawada	4			4	4.00
19	Patna	8	2		10	10.00
20	Purnia	5			5	5.00
21	Rohtas	4			4	4.00
22	Samastipur	4	2		6	6.00
23	Saran	4			4	4.00
24	Sheikhpura	2			2	2.00
25	Sitamarhi	4			4	4.00
26	Siwan	4			4	4.00
27	Vaishali	6	2		8	8.00
28	West Champaran	1	3	1	5	5.00
Total		**100**	**18**	**2**	**120**	**120.00**

(तृप्ति गुप्ता)

नितेश कुमार राय

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–3

Physical & Financial Target of Low Cost/Small Scale Mushroom Production Unit (2025-26) Under National Horticulture Mission (MIDH)

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रू० में)

Sl. No.	District Name	Target Detail												Total Phy Taget	Total Financial Target		
		Gen				SC				ST					Central	State	Total
		Phy	Financial	Central	State	Phy	Financial	Central	State	Phy	Financial	Central	State				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Aurangabad	3	3.00	1.80	1.20	1	1.00	0.60	0.40	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
2	Begusarai	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
3	Bhagalpur	3	3.00	1.80	1.20	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	5	3.00	2.00	5.00
4	Bhojpur	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
5	Buxar	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
6	Darbhanga	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	1.20	0.80	2.00
7	East Champaran	3	3.00	1.80	1.20	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	5	3.00	2.00	5.00
8	Gaya	3	3.00	1.80	1.20	1	1.00	0.60	0.40	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
9	Jamui	2	2.00	1.20	0.80	1	1.00	0.60	0.40	1	1.00	0.60	0.40	4	2.40	1.60	4.00
10	Jehanabad	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
11	Kaimur	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	1.20	0.80	2.00
12	Katihar	3	3.00	1.80	1.20	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	1.80	1.20	3.00
13	Khagaria	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	1.20	0.80	2.00
14	Kishanganj	3	3.00	1.80	1.20	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	1.80	1.20	3.00
15	Lakhisarai	3	3.00	1.80	1.20	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	1.80	1.20	3.00
16	Muzaffarpur	5	5.00	3.00	2.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	5	3.00	2.00	5.00
17	Nalanda	4	4.00	2.40	1.60	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	6	3.60	2.40	6.00
18	Nawada	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
19	Patna	8	8.00	4.80	3.20	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	10	6.00	4.00	10.00
20	Purnia	5	5.00	3.00	2.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	5	3.00	2.00	5.00
21	Rohtas	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
22	Samastipur	4	4.00	2.40	1.60	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	6	3.60	2.40	6.00

नितेश कुमार राय

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रू० में)

Sl. No.	District Name	Target Detail												Total Phy Taget	Total Financial Target		
		Gen				SC				ST					Central	State	Total
		Phy	Financial	Central	State	Phy	Financial	Central	State	Phy	Financial	Central	State				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
23	Saran	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
24	Sheikhpura	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	1.20	0.80	2.00
25	Sitamarhi	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
26	Siwan	4	4.00	2.40	1.60	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4	2.40	1.60	4.00
27	Vaishali	6	6.00	3.60	2.40	2	2.00	1.20	0.80	0	0.00	0.00	0.00	8	4.80	3.20	8.00
28	West Champaran	1	1.00	0.60	0.40	3	3.00	1.80	1.20	1	1.00	0.60	0.40	5	3.00	2.00	5.00
Total		**100**	**100.00**	**60.00**	**40.00**	**18**	**18.00**	**10.80**	7.20	**2**	**2.00**	**1.20**	**0.80**	**120**	72.00	48.00	120.00

Neibha

नितेश कुमार राय

सूचना